

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 880 दिनांक:- 01.8.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि0 द्वारा जिला के अंचल, छत्तरपुर के ग्राम-रूदवा में 132/33 के0वी0 ग्रीड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 2.43 हे0 (6.00 एकड़) 'गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी' प्रस्ताव संख्या-FP/JH/Substation/40007/2019 जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 1808 दिनांक 23.07.2019

महाशय,

प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/Substation/40007/2019 132/33 K.V सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 2.43 हे0 मात्र जंगल-झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

- मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
1	मेदिनीनगर	शून्य	2.43	2.43	0.1

- प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन Online समर्पित है।
- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबा निम्नवत् है :-

DISTRICT	BLOCK	VILLAGE	THANA NO.	KHATA NO.	PLOT NO.	AREA IN (HA)
PALAMU	CHATTARPUR	RUDWA	279	36	01	1.05
"	"	"	"	"	02	1.38
TOTAL :-						2.43

- प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
- पार्ट IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
- 1:50,000 स्केल के टोपोग्रीड पर लोकेशन मैप संलग्न है।
- प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रीड सब-स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है।
- अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के पार्ट-II में दर्ज प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की संख्या-शून्य है।
- प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 465 दिनांक 11.06.2019 द्वारा प्राप्त प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र form II Other than Linear Project के स्थान पर प्रपत्र form I में निर्गत है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों/प्रयोक्ता अभिकरण को

निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा। F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

11. इस परियोजना में पूर्ण जंगल-झाड़ू भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 651 दिनांक 27.04.2016 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
13. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि *"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"*
14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
15. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
16. वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **violation** नहीं किया गया है।
17. प्रस्तावित वन भूमि पलामू जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
18. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

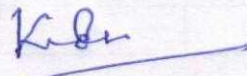
प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 2.43 हे० (जंगल-झाड़ी) वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


1-8-19

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

CONSTRUCTION OF CHATTARPUR SUB STATION 2.43 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 2.43 ha. Forest land.

Date :- 01.08.2019

Place :- Ranchi.

Signature

Shashi Nandkeolyar
(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)